कार्यालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, चतरा।

(कल्याण शाखा)

नव–निर्मित अनुमंडल कार्यालय भवन, चतरा (झारखण्ड)
Email id - dwo.chatra66@gmail.com

–: इच्छा की अभिव्यक्ति :–

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखण्ड, रांची का संकल्प संख्या–2151, दिनांक–15.07.2015 एवं 2134 दिनांक–20.07.2022 के द्वारा कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों की कमी के कारण पठन–पाठन कार्य प्रभावित हो रही है, इसके मद्देनजर रखते हुए तत्कालिक व्यवस्था के तहत Service Procurement के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से सेवा प्राप्त करने हेतु स्वीकृत बल के विरूद्ध रिक्त पद पर घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव संबंधित विद्यालय के प्राधानाध्यापकों से प्राप्त है, जिसका विवरणी निम्न प्रकार है :–

विद्यालयवार रिक्ति

तालिका–I

क्र0	कक्षा	विषय	रा0अनु0जनजाति आ0 बालक उ0वि0 लावालौंग में रिक्त की संख्या	रा0अनु0जाति आ0 बालिका उ0 वि0 सिमरिया में रिक्त की संख्या	कुल	आयु सीमा	अभ्युक्ति
01	वर्ग 06 से 10 तक	गणित	01	01	02	न्यूनतम–21 वर्ष और अधिकतम–40 वर्ष	संबंधित विषय में PG/GRADUATE B.ED या शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्रीधारक
02		भूगोल	01	–	01		
03		P.T शिक्षक	01	01	02		
04		कम्प्यूटर शिक्षक	01	01	02		
05		अर्थशास्त्र	01	–	01		
06		अंग्रेजी	–	01	01		
07		संस्कृत	–	01	01		
08		संगीत/कला शिक्षक	–	01	01		
कुल :–			05	06	11		

तालिका–II

क्र0	कक्षा	रा0अनु0जनजाति आ0 बालक उ0वि0 लावालौंग में रिक्त की संख्या	रा0अनु0जाति आ0 बालिका उत्क0 उ0 वि0 सिमरिया में रिक्त की संख्या	रा0अनु0जाति आ0 बालिका उत्क0 उ0 वि0 हंटरगंज में रिक्त की संख्या	रा0अनु0जाति आ0 बालिका उत्क0 उ0 वि0 प्रतापपुर में रिक्त की संख्या	कुल	आयु सीमा	अभ्युक्ति
01	वर्ग 01 से 05 तक	03	04	04	04	15	न्यूनतम–21 वर्ष और अधिकतम–40 वर्ष	संबंधित विषय में GRADUATE B.ED या शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्रीधारक

1) विभाग द्वारा निर्धारित आवश्यक शर्तें निम्नवत हैं :–

- चतरा जिला अंतर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षण कार्य के सुचारू संचालन के उद्देश्य से Service Procurement के आधार पर योग्यताधारी योग्य शिक्षकों की सेवा प्राप्त करने हेतु पूर्णतः अस्थाई व्यवस्था के तहत घंटी आधारित नियुक्ति किया जाना है, नियमित शिक्षकों कि नियुक्ति की तिथि से इनकी सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- घंटी आधारित अंशकालीन सेवा प्राप्ति हेतु 6 माह के लिए योग्यताधारी शिक्षकों की सेवा विभागीय निदेश के अधीन लिया जाना है।
- आवश्यकतानुसार चयनित शिक्षकों को अधिकतम 6 माह के लिए प्रति घंटी के आधार पर रखा जायेगा। सेवा संतोषप्रद हो तो आवश्यकतानुसार उन्हें पुनः अगले 06 माह के लिए अवधि विस्तार किया जा सकता है। जिला स्तरीय गठित कमिटि द्वारा कार्यों का मूल्यांकन कर इसपर निर्णय लिया जायेगा। किसी भी स्थिति में यह व्यवस्था एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं ली जायेगी।
- तत्कालिक व्यवस्था के तहत शिक्षण कार्य हेतु चयनित शिक्षकों द्वारा सप्ताह में कम से कम पाँच कार्य दिवस में कार्य लिया जायेगा। एक कार्य दिवस में अधिकतम 4 घंटी अध्यापन का कार्य लिया जा सकेगा, जिसके लिए उन्हें प्रति घंटी 200/– (दो सौ रूपये) वृत्तिका का भुगतान किया जायेगा।

2) **सुविधा एवं भत्ते** :–

- अंशकालीन सेवा हेतु किसी भी तरह का अतिरिक्त भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
- चयनित शिक्षक किसी अवकाश के हकदार नहीं होगें।
- चयनित शिक्षकों का पद स्थानान्तरणीय नहीं होगा।
- चयनित शिक्षकों को विद्यालय में आवासन की सुविधा नहीं दी जायेगी।
- चयनित शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति के आधार पर किए गये अध्यापन कार्य के अनुरूप वृत्तिका का भुगतान किया जायेगा।

3) **पात्रता** :–

- शिक्षकों से कार्य एकरारनामा के आधार पर लिया जायेगा, जिसमें उसी प्रखण्ड के अनु0जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिला शिक्षकों तथा स्थानीय भाषा के जानकार को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन में राज्य सरकार के आरक्षण का प्रावधान का भी अनुपालन किया जायेगा।
- उक्त समिति द्वारा चयन के दौरान प्रखण्ड स्तर पर अभ्यर्थी अनुपलब्ध पाये जाने की स्थिति में जिला स्तर पर उपलब्ध योग्य अभ्यर्थी से इसका चयन कर भरा जायेगा।
- योग्य अभ्यर्थी की सेवा लिये जाने हेतु आवश्यकतानुसार विषय के आधार पर चयन किया जायेगा।
- जिलास्तर/प्रखण्ड स्तर पर संबंधित विषय के P.G/Graduate B.Ed या शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्रीधारकों को मेधाक्रम के आधार पर उपर्युक्त शर्ते पर पूरी तरह अस्थायी रूप से कमिटि द्वारा चयन किया जायेगा।
- मेधा सूची की तैयारी सरकार द्वारा निर्धारित SOP/निदेश तथा जिला चयन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत किया जाएगा।
- यदि दो या अधिक अभ्यर्थी को कर्णांकित प्राप्तांक बराबर होने पर सरकार के नियमों के तहत अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।
- उम्र सीमा में अतिरिक्त छुट राज्य सरकार के नियमों के तहत देय होगा।

- आवेदक आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र/दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करेगें। इस दस्तावेजों के बगैर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेगें।
  i) विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र।
  ii) शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की प्रति।
  iii) ऑनलाईन जाति/OBC प्रमाण पत्र की प्रति।
  iv) ऑनलाईन आवासीय प्रमाण पत्र की प्रति।
  v) आधार कार्ड।
  vi) पेन कार्ड।
  vii) Passport Size का दो (02) अतिरिक्त फोटो

नोट :– 1) विज्ञापन की जानकरी के लिए website-chatra.nic.in पर देखा जा सकता है।
2) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि :– 06/09/2026, अपराह्न – 04:00 बजे तक निर्धारित है।
3) आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक द्वारा जिला कल्याण कार्यालय, चतरा (अनुमण्डल पदाधिकारी चतरा के कार्यालय परिसर) के पत्ते पर कार्यालय अवधि में प्राप्त किये जायेगें।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
चतरा।

उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक –V–स्था0–09/2026/974/जि0क0, चतरा दिनांक–21/08/2026

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जिले के website-chatra.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दैनिक अखबार में प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगें।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
चतरा।

उपायुक्त,
चतरा।

अंशकालीन शिक्षकों से संबंधित आवेदन का प्रपत्र

फोटो

1. आवेदित पद का नाम :–
2. आवेदक का नाम :–
3. पिता का नाम :–
4. जन्म तिथि :–
5. दिनांक 01.04.2026 को उम्र की गणना– वर्ष ..... महीना ..... दिन .....
6. आरक्षण की कोटि – अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछडा वर्ग।
7. जाति :–
8. पत्राचार का पता :–
9. स्थायी पता :–
10. शैक्षणिक योग्यता :–

क्र0	योग्यता	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	कुल अंक	श्रेणी	प्राप्तांक %	अभ्युक्ति
1	माध्यमिक							
2	इण्टर							
3	स्नातक (प्रतिष्ठा)							
4	स्नातकोत्तर							
5	Ph.D							

11. कम्प्यूटर ज्ञान की दक्षता :–
12. निर्धारित विषयों में कार्य क्षेत्र में अनुभव :–
13. अन्य योग्यता :–

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषण करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएँ सही एवं सत्य है। यदि कोई सूचना गलत पाया जाता है अथवा तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है तो वैसी स्थिति में मेरा दावा किसी भी समय रद्द करने हेतु संस्थान को प्राधिकृत करता/करती हूँ।

स्थान :–

तिथि :–

आवेदक का हस्ताक्षर